

न्यायालय:-विशेष न्यायाधीश, भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 गोहद,

जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

(समक्ष – सतीश कुमार गुप्ता)

विशेष सत्र प्रकरण क० 104/12

संस्थापन दिनांक-20-07-2012

म०प्र०म०क्ष०विद्युत वितरण कम्पनी, लिमिटेड गोहद ग्रामीण
द्वारा-कनिष्ठ यंत्री चंद्रशेखर सिंह

.....परिवादी

बनाम

मुंशी पुत्र हरीविलास, निवासी ग्राम चन्दहरा थाना गोहद,
जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्त

परिवादी पक्ष द्वारा श्री ए०के० श्रीवास्तव अधिवक्ता।
अभियुक्त द्वारा श्री बी०एस० यादव अधिवक्ता।

// निर्णय //

(आज दिनांक 27.01.2018 को घोषित)

01. परिवादी पक्ष के द्वारा, भागीरथ पुत्र बिहारीलाल के नाम से प्रदत्त विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-09-7365 पर विद्युत बिल की राशि बकाया होने से उक्त कनेक्शन को दिनांक 17.05.2012 को अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया था, किन्तु चैकिंग के दौरान दिनांक 29.05.2012 को 12:30 बजे, ग्राम चन्दहरा थाना गोहद में अभियुक्त के द्वारा उक्त कनेक्शन को पुनः अनाधिकृत रूप से जोड़कर विद्युत उर्जा का उपयोग करते हुए पाया गया। इस संबंध में अभियुक्त पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138(1)ख का आरोप लगाया गया है।

02. परिवादी का परिवाद संक्षेप में इस प्रकार से है कि परिवादी, जो कि म0प्र0म0क्षे0 विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड गोहद ग्रामीण, जिला भिण्ड में कनिष्ठ यंत्री के पद पर पदस्थ था, जो कि परिवाद प्रस्तुत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। परिवादी कम्पनी के द्वारा उपभोक्ता भागीरथ पुत्र बिहारीलाल को विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-09-7365 दिया गया था। उक्त कनेक्शन पर बिल की बकाया राशि रूपए 31,059/- रूपए होने से और बिल जमा न करने के कारण उसे दिनांक 02.05.2012 को धारा 56 विद्युत अधिनियम का नोटिस भेजा गया था। तत्पश्चात् दिनांक 17.05.2012 को उक्त कनेक्शन को अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया और विद्युत का उपयोग न करने एवं सात दिवस के अंदर बकाया राशि जमा करने का निर्देश कनेक्शनधारी भागीरथ को दिया गया। तत्पश्चात् दिनांक 29.05.2012 को दोपहर 12:30 बजे, ग्राम चन्दहारा थाना गोहद में जांच अधिकारी परिवादी चंद्रशेखर जे. ई., सुरेश तोमर लाईन हैल्पर, मनीष शर्मा लाईन हैल्पर के साथ उक्त विद्युत कनेक्शन को पुनः निरीक्षण करने पहुँचे तो पाया कि उपयोगकर्ता अभियुक्त मुंशी के द्वारा उक्त कटे हुए कनेक्शन को पुनः अनाधिकृत रूप से मण्डल की लाईन से दो पीले रंग के तार जोड़कर विद्युत उर्जा का उपयोग करते पाये जाने पर उक्त संबंध में पंचनामा तैयार किया गया जिस पर साक्षियों के हस्ताक्षर कराए गए। तत्पश्चात् परिवादी पक्ष की ओर से परिवाद पत्र धारा 138(1)(ख) विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत न्यायालय में पेश किया गया।

03. परिवाद प्रस्तुत करने पर अभियुक्त के द्वारा प्रथम दृष्टया भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 138(1)ख के अंतर्गत अपराध घटित करना पाये जाने से उसके विरुद्ध आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसने अपराध करना अस्वीकार करते हुए विचारण चाहा, उसका अभिवाक् अंकित किया गया। तत्पश्चात् परिवाद के समर्थन में परिवादी की ओर से स्वयं परिवादी/साक्षी चंद्रशेखर कुशवाह प0सा0 1 का परीक्षण कराया गया। परिवादी साक्ष्य उपरांत दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार करते हुए अपने आपको झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया एवं बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

04. इस प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं :

- 01.** क्या अभियुक्त मुंशी के द्वारा दिनांक 29.05.12 को करीब 12:30 बजे, ग्राम चन्दहारा थाना गोहद में भागीरथ पुत्र बिहारीलाल के नाम से प्रदत्त विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-09-7365 जो कि पूर्व में अस्थाई रूप से विच्छेदित किया गया था को अप्राधिकृत रूप से पुनः एल.टी.लाइन से सीधे तार डालकर विद्युत का उपयोग किया जा रहा था ?
- 02.** दण्डादेश यदि कोई हो ?

// साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष //

05. जहाँ तक उक्त विचारणीय प्रश्न का संबंध है, परिवादी चंद्रशेखर कुशवाह प०सा०-1 का अपने कथनों में कहना है कि वह दिनांक 02.05.12 को म०प्र०म०क्षे०वि० कंपनी गोहद ग्रामीण में कनिष्ठ यंत्री के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा 15 दिवसीय नोटिस भागीरथ पुत्र बिहारीलाल, जिसका विद्युत कनेक्शन क्रमांक 73-9-7365 है, को देने के लिये मुख्यालय पर कार्यरत सुरेश तोमर एवं मनीष शर्मा को दिया था, जो प्र०पी०-1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं दिनांक 17.05.12 को 7 दिवसीय नोटिस भागीरथ पुत्र बिहारीलाल को भेजा गया था जो प्र०पी०-2 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा दिनांक 29.05.12 को वह ग्राम चंदहारा में साधारण चैकिंग के लिये गये थे और उसके साथ सुरेश तोमर, मनीष शर्मा लाईन हैल्पर मौजूद थे। उस समय उसके द्वारा दिये गये नोटिस के कनेक्शनों का निरीक्षण कराने का निर्देश लाइनमैन को दिया गया था तो निरीक्षण उपरांत भागीरथ पुत्र बिहारीलाल के विद्युत कनेक्शन का उपयोगकर्ता मुंशी पुत्र हरविलाश द्वारा अवैध रूप से विद्युत का उपयोग किया जाना पाया था, जिसका मौके पर पंचनामा बनाया गया जो प्र०पी०-3 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं मौके से दो तार पीले रंग के बीस फिट के जप्त किये गये थे।

06. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी/परिवादी का कहना है कि यह सही है कि उक्त कनेक्शन भागीरथ पुत्र बिहारीलाल के नाम से है। उसने कनेक्शनधारी भागीरथ पुत्र बिहारीलाल के जिंदा

या मृत होने के संबंध में कोई जानकारी नहीं ली थी। यह सही है कि उसे भागीरथ के वारिसानों की जानकारी नहीं है। उसे लाईनमैन के द्वारा मुंशी पुत्र हरविलाश का नाम उपयोगकर्ता के रूप में बताया था। उसके द्वारा उपयोगकर्ता मुंशी के संबंध में गांव के स्वतंत्र साक्षी से पूछताछ नहीं की थी। उसके द्वारा लाईनमैन के कहने पर मामले में मुंशीलाल पुत्र हरविलाश को उपयोगकर्ता बनाया है। यह बात सही है कि उसके द्वारा उक्त पंचनामा बनाते समय गांव के कोटवार व पटवारी को नहीं बुलाया गया था। उसके द्वारा मौके पर कनेक्शन के संबंध में घर के अंदर तलाश करने की कोई कोशिश नहीं की गई और न ही वह अंदर गया था। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि कनेक्शनधारी की नोटिस देने के पूर्व मृत्यु हो चुकी थी। यह सही है कि प्र0पी0-1 व प्र0पी0-2 का नोटिस भागीरथ पुत्र बिहारीलाल के नाम से जारी किया गया है एवं मुंशी पुत्र हरविलाश के नाम से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। इस साक्षी ने आगे यह भी स्वीकार किया है कि उसने जो परिवाद पेश किया है उसमें मुंशी पुत्र हरविलाश के नाम से पेश किया गया है, जबकि मुंशी के पिता का नाम हरबक्स है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि मुंशी पुत्र हरिबक्स अपने पुत्र के साथ अहमदाबाद में रहते हैं।

07. इस प्रकार विचारणीय प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्तानुसार अभिलेखगत साक्ष्य सहित प्रकरण के संपूर्ण अभिलेख का गहन परिशीलन तथा मूल्यांकन करने पर पाया जाता है कि परिवादी जे0ई0 चंद्रशेखर कुशवाह प0सा0-1 ने अपने मुख्य परीक्षण में लाईन हेल्पर्स सुरेश तोमर व मनीष शर्मा को साथ में लेकर घटना दिनांक 29.05.12 को 12:30 बजे ग्राम चंदहारा थाना गोहद में किये गये निरीक्षण के दौरान विद्युत बिल की राशि बकाया होने के कारण प्र0पी0-1 व प्र0पी0-2 के नोटिस तामीली उपरांत भागीरथ पुत्र बिहारीलाल के नाम के विच्छेदित विद्युत कनेक्शन से उपयोगकर्ता अभियुक्त मुंशी द्वारा विद्युत लाईन पर पीले रंग के दो तार अवैध रूप से जोड़कर विद्युत का उपयोग करते हुये पाया जाना बताया है, लेकिन प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का अपने कथनों में कहना है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि कनेक्शनधारी भागीरथ की नोटिस देने के पूर्व मृत्यु हो चुकी थी एवं उसने कनेक्शनधारी भागीरथ पुत्र बिहारीलाल के जिंदा या मृत होने के संबंध में कोई जानकारी नहीं ली

थी, बल्कि उक्त साक्षी का अपने न्यायालयीन कथनों में प्रतिपरीक्षण के दौरान स्पष्ट रूप से स्वतः कहना है कि लाईनमैन के द्वारा मुंशी पुत्र हरविलास का नाम उपयोगकर्ता के रूप में उसे बताया गया था और लाईनमैन के कहने पर ही उसने मुंशीलाल पुत्र हरविलास को प्रकरण में उपयोगकर्ता बनाया है तथा उक्त साक्षी का अपने न्यायालयीन कथनों में ऐसा कदापि स्पष्ट रूप से कहना नहीं है कि उसने स्वयं उपयोगकर्ता मुंशीलाल को अवैध रूप से विद्युत लाईन पर तार डालकर विद्युत का उपयोग करते हुये पाया था एवं मुख्य परीक्षण में ही उक्त महत्वपूर्ण साक्षी/परिवादी का कहना है कि ग्राम चंदहारा में पहुंचने पर उसके द्वारा दिये गये नोटिस के कनेक्शनों का निरीक्षण करने का निर्देश लाईनमैन को दिया था। अतः उपयोगकर्ता अभियुक्त मुंशी द्वारा अवैध रूप से विद्युत लाईन पर तार डालकर विद्युत का उपयोग किये जाने के संबंध में परिवादी जे०ई० चंद्रशेखर प०सा०-1 के उक्त कथन अनुश्रुत श्रेणी के होकर ग्राह्य योग्य होना नहीं पाये जाते हैं।

08. उपरोक्त के अलावा मामले में यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादी जे०ई० चंद्रशेखर प०सा०-1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्रमांक 5 में यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसके द्वारा जो परिवाद पत्र पेश किया गया है वह मुंशी पुत्र हरविलास के नाम से पेश किया गया है, जबकि अभियुक्त के पिता का नाम हरबक्स है और स्वतः प्रकट किया है कि उसे उक्त संबंध में कोई जानकारी भी नहीं है तथा यह भी प्रकट किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि मुंशी पुत्र हरबक्स अपने पुत्र के साथ अहमदाबाद में रहते हैं तथा स्वीकार किया है कि गांव के संबंध कोटवार व पटवारी को पूरी जानकारी रहती है और जब भी गांव में निरीक्षण करने के लिये जाते हैं तो गांव के कोटवार और पटवारी को सबसे पहले बुला लेते हैं, लेकिन उसने विचाराधीन प्रकरण में निरीक्षण के समय गांव के कोटवार, पटवारी अथवा किसी स्वतंत्र साक्षी से कोई पूछताछ नहीं की थी। अतः उक्त आधारों पर भी मामले में परिवादी पक्ष के विपरीत उपधारणा होकर परिवादी जे०ई० चंद्रशेखर प०सा०-1 द्वारा मुख्य परीक्षण में किये गये उक्त कथनों की सत्यता अधिक्षेपित होती है।

09. उपरोक्त के अलावा मामले में यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादी चंद्रशेखर प०सा०-1 अपने न्यायालयीन कथनों में अपने स्टेण्ड पर दृढ़तापूर्वक स्थिर नहीं है, क्योंकि जहां मुख्य परीक्षण में उपयोगकर्ता अभियुक्त मुंशी द्वारा प्रश्नगत विच्छेदित विद्युत कनेक्शन से अवैध रूप से विद्युत लाईन पर तार डालकर विद्युत का उपयोग करते हुये पाया जाना बताया है, वहीं दूसरी ओर प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी अपने कथनों पर दृढ़तापूर्वक स्थिर नहीं रहा है, क्योंकि उक्त साक्षी का अपने कथनों में कहना है कि उसे तो उपयोगकर्ता द्वारा अवैध रूप से विद्युत का उपयोग किये जाने के संबंध में लाईनमैन ने बताया था तथा मामले में परिवादी पक्ष की ओर से लाईनमैन को परीक्षित नहीं कराया गया है एवं पंचनामा प्र०पी०-3 के अवलोकन से पाया जाता है कि उसमें परिवादी जे०ई० चंद्रशेखर सहित दोनों लाईनमैन सुरेश तोमर व मनीष शर्मा द्वारा मौके पर निरीक्षण किया जाना लेख है। अतएव परिवादी चंद्रशेखर प०सा०-1 के कथन परिवादी पक्ष के मामले के अनुरूप भी होना नहीं पाये जाते हैं। साथ ही अभिलेख के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि प्र०पी०-1 व प्र०पी०-2 के विद्युत कनेक्शन विच्छेद संबंधी नोटिस भागीरथ के नाम से जारी किये गये हैं, लेकिन उक्त दोनों नोटिस को न तो कनेक्शनधारी भागीरथ को तामील कराये गये हैं और न ही परिवादी पक्ष द्वारा कथित उपयोगकर्ता मुंशी को तामील कराये गये हैं। अतः उक्त आधारों पर भी मामले में परिवादी पक्ष के विपरीत उपधारणा होकर परिवादी पक्ष का यह मामला अभियुक्त मुंशीलाल के संबंध में विश्वासप्रद स्वरूप का होना नहीं पाया जाता है, बल्कि संदिग्ध स्वरूप का होना पाया जाता है।

10. दांडिक विधि शास्त्र का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना मामला प्रत्येक दशा में संदेह से परे प्रमाणित किया जाना होता है और जहाँ अभियुक्त के द्वारा अपराध किए जाने के संबंध में संदेह है, वहाँ हमेशा अभियुक्त संदेह का फायदा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रश्नगत प्रकरण में यह नहीं कहा जा सकता है कि परिवादी अपने मामले को संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है।

11. परिणामतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर परिवादी चंद्रशेखर प०सा०-1 के उक्त कथनों सहित उसके द्वारा संपादित प्रश्नगत कार्यवाही विश्वासप्रद स्वरूप की होना नहीं पाये जाने से विचारणीय प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध अभिलेख पर ठोस, दृढ़ एवं विश्वासजनक साक्ष्य का अभाव होने से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि परिवादी पक्ष के द्वारा, भागीरथ पुत्र बिहारीलाल के नाम से प्रदत्त विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-09-7365 पर विद्युत बिल की राशि बकाया होने से उक्त कनेक्शन को दिनांक 17.05.2012 को अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया था, किन्तु चैकिंग के दौरान दिनांक 29.05.2012 को 12:30 बजे, ग्राम चन्दहारा थाना गोहद में अभियुक्त के द्वारा उक्त कनेक्शन को पुनः अनाधिकृत रूप से जोड़कर विद्युत उर्जा का उपयोग करते हुए पाया गया। तदनुसार अभियुक्त मुंशी को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138(1)(ख) के अपराध आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12. अभियुक्त जमानत पर है अतः उसके जमानत प्रपत्र भारमुक्त किये जाते हैं।

13. प्रकरण में जप्तशुदा दोनों तार मूल्यहीन प्रकट होने से अपील अवधि पश्चात् अपील नहीं होने की दशा में नष्ट हों। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

(निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(एस०के०गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश,
भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 गोहद
जिला भिण्ड म०प्र०

(एस०के०गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश,
भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 गोहद
जिला भिण्ड म०प्र०